

विप्रार्थी / प्रतिवादी / रैरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब

दिनांक 28/09/22 को पेश है।

19/09/22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील व प्रार्थी स्वयं उपरोक्त
उक्त मूलवाद को जरिये राजीनामा विद्वा कर दिया
जवा है तो इस आवेदन को आगे चलाने का
कोई औचित्य नहीं है। इस आवेदन की
कार्यवाही इसी तरह पर समाप्त की जाती है।

पत्रावली के तलब शुल्क ठीकर वासिल
दस्ता है। मूलवाद के संलग्न है।